राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं. एफ. 5(2) डीओपी/क-2/2010 जयपुर, दिनांक: 24/3/2025

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ-. (1) इन नियमों का नाम राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये 31.01.2018 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. अनुसूची का संशोधन.- राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 से संलग्न अनुसूची में शीर्ष ग्रुप-I महाविद्यालय शिक्षा अनुभाग-क-अध्यापन पद के अधीन, विद्यमान क्रम संख्यांक 2 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"

2.	आचार्य (आर.वी.आर.ई.एस.)	-	37400-67000 एजीपी-10000 (एएल-14) कैरियर समुन्नति स्कीम के अधीन	-
	(क) सह-आचार्य (आर.वी.आर.ई.एस.)	-	37400-67000 एजीपी- 9000 (एएल-13 क) कैरियर समुन्नति स्कीम के अधीन	-
	(ख) सहायक आचार्य (आर.वी.आर.ई.एस.) चयन वेतनमान	-	15600-39100 एजीपी- 8000 (एएल-12) कैरियर समुन्नति स्कीम के अधीन	-
	(ग) सहायक आचार्य (आर.वी.आर.ई.एस.) वरिष्ठ वेतनमान	-	15600-39100 एजीपी- 7000 (एएल-11) कैरियर समुन्नति स्कीम के अधीन	-
	(घ) सहायक आचार्य (आर.वी.आर.ई.एस)	8000-13500	15600-39100 एजीपी- 6000 (एएल-10)	प्राध्यापक

"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(दिनेश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव।

13/2025